भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2614

(दिनांक 11.12.2024 को उत्तर के लिए)

सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि

2614. श्री रामभुआल निषाद :

श्री बी. मणिक्कम टैगोर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बढ़ते पेंशन भार से तत्काल राहत पाने के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का विचार रखती है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ख) बढ़ी हुई सेवानिवृत्ति की आयु से केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारी लाभान्वित होंगे और उनकी पेंशन निधि पर अनुमानत कितना वित्तीय प्रभाव पड़ेगा;

(ग) इसे चरणबद्धरूप से लागू करने की योजनाओं, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों की भी सेवानिवृत्ति की आयु में इसी प्रकार की वृद्धि करने पर विचार किया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ड.) सेवानिवृत्ति की बढ़ी हुई आयु पेंशन व्यय को किस प्रकार प्रभावित करती है और संभावित वित्तीय भार को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाएंगे;

(च) उन अध्ययनों अथवा आंकड़ों का ब्यौरा क्या है जो इसे दावे का समर्थन करते हैं कि सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने में प्रशासनिक दक्षता और कार्य की गुणवत्ता में सुधार होगा;

(छ) दो वर्षों की अतिरिक्त सेवा से कर्मचारियों को किस प्रकार वित्तीय लाभ होगा और इस संबंध में उनकी समग्र पेंशन निधि में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है; और

(ज) क्या सेवानिवृत्ति की आयु नीति में और सुधार अथवा समीक्षा करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी संभावित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) : ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (ज) : प्रश्न नहीं उठते।

******